

प्रेस नोट इटावा पुलिस दिनांक- 31.10.2026

#OPERATION CONVICTION

महिला एवं बालिका अपराध पर इटावा पुलिस का कड़ा प्रहार।

बेटियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता, अपराधियों पर सख्त कार्रवाई।

1. थाना-इकदिल

मा0 न्यायालय टीआरसी कोर्ट इटावा द्वारा वादी की नाबालिग पुत्री के साथ गलत कार्य करने वाले अभियुक्त लवकेश पुत्र महावीर निवासी नगला बैनी थाना इकदिल जनपद इटावा को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 55,000 /-रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

जनपद में अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही कराये जाने तथा मा0 न्यायालय से दण्डित कराये जाने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव द्वारा चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना इकदिल पैरोकार, व मानीटरिंग सैल द्वारा प्रभावी पैरवी के चलते मा0 न्याया0 टीआरसी कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 55,000 /-रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

संक्षिप्त विवरणः- थाना इकदिल क्षेत्रान्तर्गत अभियुक्त द्वारा वादी के घर में घुसकर वादी की नाबालिग पुत्री के साथ गलत कार्य करने के सम्बन्ध में वादी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर के आधार पर थाना इकदिल पर **मु0अ0सं0 44/2023 अंतर्गत धारा 452/376 भादवि व 3/4 पास्को एक्ट पंजीकृत किया गया व दौराने विवेचना धारा 376(3) भादवि व 3/4 (2) पॉक्सो एक्ट में तरमीम की गयी।**

उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में **विवेचना अधिकारी तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक रणबहादुर सिंह** के द्वारा साक्ष्य संकलन किया गया, साक्ष्य संकलन के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र मा0 न्यायालय मे प्रस्तुत किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक इटावा द्वारा प्रकरण की सतत निगरानी करते हुए दिए गए निर्देशों के क्रम में थाना इकदिल पुलिस टीम, पैरोकार हे0का0 मुलायम सिंह व मानीटरिंग सेल टीम व एडीजीसी श्री आशीष तिवारी द्वारा नियत तिथियों पर साक्ष्य प्रस्तुत करते हुये व अन्य साक्ष्यों को मा0 न्यायालय इटावा के समक्ष पेश करते हुए प्रभावी एवं सख्त पैरवी की गयी जिसके परिणाम स्वरूप आज दिनाँक 31.10.2026 को **अंतर्गत धारा 376(3)/452 भादवि व 3/4(2) पॉक्सो एक्ट में मा0 न्यायालय टीआरसी कोर्ट इटावा द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 55,000 /-रु0 अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।**

सजायाफ्ता अपराधी-

1. लवकेश पुत्र महावीर निवासी नगला बैनी थाना इकदिल जनपद इटावा।